

286

1300

(S)

उत्तर प्रदेश शासन,  
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2  
संख्या: शासक-3/बावन-2-2010-88/2009  
लखनऊ: दिनांक: 16 : फरवरी: 2010

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शिधा सेण्टल वक्फ बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश मुन्नी सेण्टल वक्फ बोर्ड के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा शतप्रतिशत वित्त पोषित कम्प्यूटरीकरण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति का निम्नवत गठन किया जाता है:-

<u>क्रमांक</u>	<u>पदनाम</u>	<u>अध्यक्ष/तदस्थ</u>
1-	प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2-	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ, उत्तर प्रदेश	तदस्थ
3-	प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वक्फ विकास निगम लि०	तदस्थ
4-	उत्तर प्रदेश शिधा/मुन्नी सेण्टल वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा बोर्ड द्वारा नामित प्रतिनिधि।	तदस्थ

बी० स्म० मीना  
प्रमुख सचिव

संख्या: शासक-3/1/बावन-2-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग।
- 2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वक्फ विकास निगम लि० लखनऊ।
- ✓ 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० शिधा/मुन्नी सेण्टल वक्फ बोर्ड, लखनऊ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मो० सुफीक ।  
उप सचिव।